बीजाराम वs सरपंच ग्रा.प. डंडाली वगैरा

अपीलांट

उत्तरदाता

21.5.18 पत्रावली राजस्थान लोक अदालत आयोजन में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प. डंडाली में पेश हुई। पक्षकारान को जरिये नोटिस ज्ञात हुआ। वकील अपीलांट मय अपीलार्थी क्र. 1 व 2/1 से 2/3 व 2/5 उपस्थित। उत्तरदाता क्र. 1 व उत्तरदाता क्र. 2/1 से 2/4 उपस्थित। अपीलार्थी की पहचान वकील श्री दलाराम चौधरी द्वारा की गई। और उत्तरदाता की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत डंडाली द्वारा की गई। वकील अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र - उत्तरदाता क्र. 3 को पक्षकार हटाने एवं प्रार्थना पत्र वारिसान - उत्तरदाता क्र. 2/5 के फोत होने पर नाम हटाने बाबत पेश की गई। रिकॉर्ड पर लिया गया। चूंकि विवादित भूमि नामान्तरकरण संख्या 282 के जरिये रहन मुक्त हो गई है अतः उत्तरदाता क्र. 3 का आवश्यक पक्षकार बनाने जरूरी नहीं होने के कारण अपील में नाम हटाया जाता है एवं उत्तरदाता क्र. 2/5 के फोत हो जाने से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है वारिसान पूर्व में रेकर्ड पर नाम अपील से हटाया जाता है। चूंकि उत्तरदाता क्र. 2/1 से 2/4 ने अपीलार्थी

आ.नि. बीजाराम ①

पूनमाराम

तेजाराम

आ.नि. जानुदेवी

आ.नि. मगुदेवी

आ.नि. भीखी

भागाराम

जेनाराम

पूनमाराम

हनुमानराम
सरपंच
ग्राम पंचायत डण्डाली
प.स सिणधरी। बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के पक्ष में राजीनामा पेश किया है। जो शामिल मिसल हो। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरण सं. 34 जो सरपंच ग्राम पंचायत डेडाली द्वारा पारित किया गया था, जो निरस्त कर प्रकरण TPR सिणधरी को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–02/2017

अपीलाण्टस **बनाम** उतरदातागण

1.वीजाराम पुत्र शिवजीराम
2.सरदारा पुत्र रावता के वारिसान
2/1 पूनमाराम
2/2 सांवलाराम
2/3 जोगाराम पिसरान सरदारा
2/4 तेजाराम पुत्र धर्माराम
2/5 ढपोदेवी पत्नि धर्माराम
जाति रबारी निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1.सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली
2.करनाराम पुत्र रावताराम के वारिसान
2/1 लाभूराम
2/2 मोडूराम
2/3 गेनाराम
2/4 पूनमाराम पिसरान करनाराम
जाति रबारी निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलाण्टस एवं उतरदाता की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 103,110 कुल रकबा 43–09 बीधा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट सख्या 1.करना ,अपीलाण्टस सख्या 2/1 से 2/5 के पिता–पति सरदाराराम एवं उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के पिता करनाराम द्वारा संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड बेचानपत्र के दिनांक 22.6.1977 को कय की गई थी। और उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण भरने के बजाय सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली द्वारा केवलमात्र

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के पिता करनाराम अकेले के नाम नामान्तकरण संख्या 34 पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलाण्टस की ओर से उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के साथ नाम दायर करवानें हेतु यह अपील पेश की गई है।

2.अपीलाण्टस की ओर से अपनी अपील के समर्थन में उतरदाता संख्या 1,उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के संयुक्त बयानात कलमबद्व करवाये गये। व विवादित भूमि के संबध में अपीलाण्ट संख्या 1 व 2/1,2/3 से 2/5 एवं उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। ग्रामसेवक ग्राम पंचायत डण्डाली द्वारा अपीलाटस के परिवार की वंशवृक्षावली पेश की गई।

3.हमनें उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात,नामान्तकरण संख्या 34 एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 103,110 के मूल खातेदार श्री भूरचन्द पुत्र थानमल जाति महाजन द्वारा अपनी आवगी खातेदारी भूमि आगे बेचान अपीलाण्ट संख्या 1.वीजाराम,अपीलाण्ट संख्या 2/1 से 2/5 के पिता–दादा–ससुर सरदारा एवं उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के पिता करनाराम को दिनांक 22.6.1977 को उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर में रजिस्टर्ड बेचान की गई थी। जो पत्रावली के सलंग्न बेचानपत्र फोटोप्रति से प्रमाणित है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर उक्त बीजाराम,सरादारा एवं करनाराम के नाम नामान्तकरण पारित करने के बजाय सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली द्वारा केवलमात्र करना पुत्र रावता वगैरा कर नामान्तकरण संख्या 34 पारित किया गया। जो नामान्तकरण संख्या 34 के अवलोकन से स्पष्ट है,कि नामान्तकरण केवल करना के नाम दायर किया गया। जबकि करना के साथ वीजाराम व सरदाराराम का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था। जो तत्समय नहीं किया गया। जिसके वीजाराम व सरदाराराम के परिवार नाम दायर करवानें के हकदार है। एवं उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 ने अपने संयुक्त बयानात में स्वीकार किया है,कि अपीलाण्टस एव हम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

एक ही परिवार के सदस्य है। और विवादित भूमि को संयुक्त रूप से कय की गई थी। और रजिस्टर्ड में भी नाम दायर होने के उपरांत भी ग्राम पंचायत द्वारा हमारें पिता करना का अकेला नाम दायर गलत किया गया। जबकि हमारें पिता के साथ वीजाराम एवं सरदाराराम का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था। हमारे साथ अपीलाण्टस का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त वक्त खरीद से आदिनांक तक चला आ रहा है। हमारे साथ अपीलाण्टस का नाम दायर किया जाता है। तो हमें कोई आपर्ति नहीं है। हम सहमत है। एवं उतरदाता संख्या 1 ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है,कि अपीलाण्टस एवं उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 एक ही परिवार के है और उक्त भूमि वीजाराम,सरदाराराम एवं करनाराम ने संयुक्त रूप से कय की गई थी। और इनका मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलाण्टस करनाराम के वारिसान के साथ अपना नाम दायर करवानें के हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान की वंशवृक्षावली,मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं बेचानपत्र बिन्दुओं की गहराई से जांच करनें हेतु के अपीलाण्टस के हक में नामान्तकरण की कार्यवाही नये सिरे से विधिनुसार पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत डण्डाली के नामान्तकरण स.34 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली के आदेश दिनांक शून्य को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्दशो के साथ तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि अपील में पक्षकारान की दर्शित वंशवृक्षावली,पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 103,110 में हुए बेचानपत्र दिनांक 22.6.1977 को मध्यनजर रखते हुए विधिसम्मत जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार अपीलाण्टस के हक में नियमानुसार पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी